

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2004

(आयकर)

का.आ. 569(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 88 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiii क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड (xiii क) के उद्देश्यों के लिए भारत जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के रूप में बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के पास उक्त निगम द्वारा यथा दायर, भारतीय जीवन बीमा निगम की न्यू जीवन अक्षय-II योजना को विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 144/2004/फा. सं. 174/9/2001-आयकर नि. I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव